



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Helpline 9928900900)

E mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com

website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक: PS/421

दिनांक: 05.10.2019

लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम हेतु विज्ञप्ति

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजस्थान के एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट के अधीन लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम प्रारम्भ किया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से अस्थाई है और इसकी सफलता पर ही इसका निरन्तर जारी रहना निर्भर करता है, परन्तु प्रारंभ में 06 माह से 01 वर्ष तक की अवधि के लिए यह प्रोजेक्ट जारी रहने की सम्भावना है परन्तु Pilot Project की अवधि अधिकतम 2 वर्ष हो सकती है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम या पब्लिक डिफेन्डर सिस्टम के लिए भरतपुर जिले का चयन किया गया है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए अधिकृत किया गया है जो 21 अक्टूबर, 2019 के पश्चात् से लागू होने की सम्भावना है।

लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम पूर्णकालिक, परन्तु अनुबंध पर आधारित कार्य (work engagement) है और इसके लिए पूरी स्कीम (संशोधित अनुसार) कार्यालय में या website पर अवलोकन की जा सकती है। इसमें निम्न योग्य अधिवक्तागण से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं-

S.N.	Name of the Post	Numer of the Post	Salary Per Month *
1	Chief Legal Aid Defense Counsel	1	Rs. 50,000 to 75000/-
2	Deputy Chief Legal Aid Defence Counsel	2	Rs. 30,000 to 60,000/- each
3	Assistant Legal Aid Defence Counsel	2	Rs. 20,000 to 40,000/- each

* Depending upon qualification & experience

उक्त लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम में योग्यता एवं अनुभव पर आधारित अनुबंध सेवा ली जाएंगी, परन्तु जिस भी अधिवक्ता द्वारा आवेदन किया जाएगा वह पूर्ण रूप से समर्पित पूर्णकालिक व्यक्ति के रूप में इस प्रोजेक्ट के अधीन DLSA/RSLSA के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

Qualification for Chief Legal Aid Defense Counsel

- Practice in criminal law for at least 10 years
- Excellent oral and written communication skill
- Excellent understanding of criminal law
- Thorough understanding of ethical duties of a defence counsel
- Ability to work effectively and efficiently with others
- Must have handled at least 30 criminal trials including appeals in Sessions Court

Qualifications for Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel

- Practice in criminal law for at least 7 years
- Excellent understanding of criminal law
- Excellent oral and written communication skills
- Skill in legal research
- Thorough understanding of ethical duties of defense counsel
- Ability to work effectively and efficiently with others
- Must have handled at least 20 criminal trials including appeals in Sessions Court

Qualifications for Assistant Legal Aid Defense Counsel

- Practice in criminal law from 0 to 3 years
- Good oral and written communication skills
- Thorough understanding of ethical duties of defense counsel
- Ability to work effectively and efficiently with others
- Excellent writing and research skills

आवेदन का तरीका— निर्धारित आवेदन-पत्र जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है एवं [www. rlsa.gov.in](http://www.rlsa.gov.in) पर भी उपलब्ध है, डाउनलोड करके मय दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन को दिनांक 17.10.2019 को सायं 5 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर के सचिव के नाम सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत किया जा सकता है। दिनांक 17.10.2019 को सायं 05.00 बजे के पश्चात् प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

जो भी व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत करता है वह स्वयं को दी गई स्कीम के अधीन कोड ऑफ एथिक्स एवं अन्य सभी नियम को मानने के लिए बाध्य होगा। उक्त स्कीम पूर्णतया अस्थाई है परन्तु उक्त वर्णित सेवाएं किसी भी समय बिना उचित कारण बताए भी समाप्त की जा सकती हैं।

चयन प्रक्रिया— आवेदन प्राप्ति के उपरान्त यदि अधिक मात्रा में आवेदन प्राप्त होते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार अथवा केवल साक्षात्कार आयोजित किया जा सकता है, परन्तु आवेदन करते समय सभी दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न की जावे, ताकि योग्यता निर्धारण साक्षात्कार से पूर्व दस्तावेज के परीक्षण से भी अन्तरिम तौर पर किया जा सके। चयन का अंतिम निर्णय माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय का होगा और उसे किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती है।

सम्पूर्ण स्कीम का विवरण पढ़ने के उपरान्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जावे, ताकि स्कीम की भावना के अनुरूप कार्य करने के लिए समुचित अधिवक्ता उपलब्ध हो सके।

आज्ञा से



(अशोक कुमार जैन)

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Helpline 9928900900)

E mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com

website: www.rlsa.gov.in

लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम हेतु आवेदन-पत्र

(Chief Legal Aid Defense Counsel/ Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel / Assistant Legal Aid Defense Counsel)

*Please tick the post you are applying for

1. आवेदक का नाम

हिन्दी में.....

अंग्रेजी में.....

2. आवेदक के पिता/पति का नाम.....

3. जन्म तिथि (शब्दों व अंकों में).....

4. गृह जिला.....

5. स्थायी पता.....

(टेलीफोन/फैक्स).....

6. वर्तमान पता.....

(टेलीफोन/फैक्स).....

7. मोबाईल नम्बर.....

8. ई-मेल एड्रेस.....

9. शैक्षणिक योग्यता (सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात अर्जित)–

(* नोट :- स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्र.सं.	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांको का प्रतिशत
1					
2					
3					
4					
5					

10. बार काउन्सिल में पंजीयन संख्या

11. वकालत का अनुभव.....

आवेदक अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो यहाँ चिपकाएं

12. अन्य कार्य (सामाजिक सेवा या अन्य उल्लेखनीय)

क्र.सं.	वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज

13. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं? हाँ/नहीं
14. यदि आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोजन संस्थित किया गया हो तो उसका विवरण दे।
15. उन सेशन प्रकरणों का विवरण जिनमें बतौर defense counsel पैरवी की गई है।
- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
16. वर्तमान में वार्षिक आय
- (तीन वर्ष की आयकर विवरणिका संलग्न करें)

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पत्नी श्री.....घोषणा

करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक.....

स्थान.....

*नोट- आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र व सेवानिवृत्त आदेश की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें। आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज भी संलग्न किए जा सकते हैं।